भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 972
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

पीएम पोषण योजना के लिए धनराशि में कटौती

†972. श्री विशालदादा प्रकाशबाबू पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के लिए धन आवंटन में निरंतर और लगातार कमी किए जाने के क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान जैसी समानांतर योजनाओं के परिणामों संबंधी बजतीय कटौती के प्रभाव का संज्ञान लिया है;
(ग) क्या सरकार के पास धन में कमी के कारण अधिगम और पोषण परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : पीएम पोषण एक प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य 10.24 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 11.70 करोड़ बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। पात्र बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को महत्व और प्राथमिकता देती है। इसलिए, प्रत्येक वर्ष बजट आवंटन में वृद्धि होती है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक, इस मंत्रालय और पीएम पोषण योजना के बजट में लगातार वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्रालय और पीएम पोषण योजना के लिए वर्ष-वार बजट अनुमान निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	
	शिक्षा मंत्रालय	पीएम पोषण योजना
2017-18	79685.95	10000.00
2018-19	85010.29	10500.00
2019-20	94853.64	11000.00
2020-21	99311.52	11000.00
2021-22	93224.31	11500.00
2022-23	104277.72	10233.75
2023-24	112899.47	11600.00
2024-25	121117.87	12467.39

(ख) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अधिगम परिणाम और छात्रों के बेहतर पोषण के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वित और व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनईपी 2020 की प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- समग्र शिक्षा: शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से पूरे देश में समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सतत अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।
- समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल **(निपुण भारत)** 5 जुलाई 2021 को शुरू की गई।
- **4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)** को एनसीटीई द्वारा दिनांक 22.10.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, आईटीईपी के चरण 2 के संचालन के लिए एनसीटीई द्वारा 23 संस्थानों को मान्यता दी गई है।
- 20 अक्टूबर, 2022 को आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा **(एनसीएफ एफएस)** का शुभारंभ किया गया।
- एनसीएफ के आधार पर अधिगम शिक्षण सामग्री **(जादुई पिटारा)** और कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें क्रमशः 20 फरवरी, 2023 और 5 जुलाई, 2023 को जारी की गईं। **जादुई पिटारा का डिजिटल संस्करण** भी 10 फरवरी, 2024 को जारी किया गया।

- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा **(एनसीएफ-एसई)** 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। एनसीएफ-एसई (2023) के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 3 और 6 के लिए पाठ्यपुस्तकें जारी की गई हैं।
- **परख:** एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई थी। परख का प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में छात्र मूल्यांकन और आकलन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित करना और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करना है। परख स्कूल बोर्डों के साथ मिलकर काम कर रहा है और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता पर विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है। परख सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और विभिन्न स्कूल बोर्डों में शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करने, छात्रों के अधिगम परिणामों में निष्पक्षता और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह नए मूल्यांकन पैटर्न, नवीनतम शोध पर स्कूल बोर्डों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। परख द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला प्रश्न पत्र टेम्पलेट्स को मानकीकृत करके और स्कूल बोर्डों में प्रश्न पत्र सेट करने वालों की क्षमता को बढ़ाकर मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रटने की आदत को कम करने और आलोचनात्मक सोच तथा मुख्य दक्षताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का पुनर्गठन महत्वपूर्ण है, ताकि अलग-अलग मूल्यांकन प्रणालियों के कारण नुकसान के बिना स्कूल बोर्डों और स्कूलों में छात्रों की गतिशीलता को सक्षम किया जा सके।
- समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन हेतु प्रारंभिक, आधारभूत, मध्य और माध्यमिक स्तर के लिए **समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी)** तैयार किया गया है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।
- **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)** दस्तावेज़ उन योग्यताओं को रेखांकित करता है जो शिक्षकों में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए, जिसे 9 मार्च 2024 को जारी किया गया।
- **राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) - 9 मार्च 2024 को जारी की गई 'एनएमएम पर ब्लूबुक'** में स्कूल शिक्षकों को मेंटरिंग प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े पूल के निर्माण की बात की गई है।
- **पीएम ईविद्या के तहत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा अवसंरचना है।** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। दीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें प्रदान करता है। दीक्षा वर्तमान में 374 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और ईटीबी सहित क्यूआर कोड वाली 7,080

से अधिक पाठ्यपुस्तकों की मेजबानी करता है। ई-सामग्री 108 भाषाओं (101 भारतीय भाषाएँ + 7 विदेशी भाषाएँ) में उपलब्ध है।

- **डाइट - उत्कृष्टता केंद्र:** एनईपी 2020 इन संस्थानों की क्षमता और कार्य संस्कृति को बदलने और उन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए डाइट के पुनर्जीवन को मान्यता देती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 613 क्रियाशील डाइट के वास्तविक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 125 डाइट को 92,320.18 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ मंजूरी दी गई।
- **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को नया** रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा **I-VIII** के छात्रों के अलावा बालवाटिका के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) की स्थापना और **'तिथि भोजन'** के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने को प्रोत्साहित करता है।
- **तिथि भोजन**: तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को नियमित भोजन के अलावा विशेष भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में पूरे देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक स्कूलों में 1.6 करोड़ से अधिक छात्रों को तिथि भोजन उपलब्ध कराया गया।
- **स्कूल पोषण उद्यान (गीत)**: इस योजना के तहत, स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। देश भर में 5.16 लाख स्कूलों में पोषण उद्यान स्थापित किए गए हैं।
- **पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना** 07 सितंबर 2022 को शुरू की गई। पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समतामूलक, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है।

*****